न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
[illegible]
प्रकरण सं. - 167/169/25

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही जज मुंसिफ/मजिस्ट्रेट	नकल व तारीख अहकाम जो हुक्म हुक्म की तामील में जारी हुए
	13/5/2026 [illegible] तक [illegible] 10/6/2026 की दिये गये। [illegible] जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट [illegible]	
	21/5/2026 आज यह पत्रावली नियत तिथि में पूर्व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तलब की गयी प्रकरण में अभियोगवादी पुलिस थाना 1712 दिनांक 24/4/2026 के रिपोर्ट आधार की भूमि में जो थाकिम नियम में प्रार्थी द्वारा प्रकरण में वाद मुद्दा गहन को मुकुदमे में लिये जाने हेतु पेश किया है, यदि प्रार्थी 25000/- रु की प्रतिभूति इसी कार्य का मुकुदमी मामा पेश कर देता है, तो प्रकरण में वाद मुद्दा गहन को मुकुदमे में ले लिया जावे। मुकुदमा लिए गहन को पुर्ण-पुर्ण की कार्यवाही। वाद की न्यायालय की एकमात्र की आवश्यकता होगी मुकुदमा इनने जरूरी एक गहन के न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे। आदेशिका लिखे जाने तक वकील प्रार्थी द्वारा प्रतिभूति/मुकुदमी पेश किया प्रार्थी की पहचान एकमुश्त पुर्ण मुहाल या किसी नगाना द्वारा तहसील खेमचन्द द्वारा पेश की है, जमाबंदी द्वारा जमाबंदी वर्ष 2024-2027 की जमाबंदी पेश की है। जिसके अनुसार जमाबंदी के गाटा संख्या 1080 का रकबा 0.2700 हे० पर गाटा गठित द्वारा दर्ज निर्धारित है। जमाबंदी साथ पेश प्रमाण तसदीक की प्रति की नकल तसदीक थाकिम नियम है। प्रकरण में वाद मुद्दा गहन HR 28 J 0966 किसी अन्य प्रकरण में चोरी निर्माणाधीन संबंधित मुकुदमी/मुकुदमी हमीर पुत्र इकबाल निवासी ग्राम किरोमपुर (हरि०) को मुकुदमे में ले लिया जावे। चूंकि प्रकरण में वाद मुद्दा गहन मुकुदमे में ले लिया गया है, प्रकरण में कुछ कोई कार्यवाही अवशेष नहीं है। पत्रावली निर्णय मुताबिक ही वापस की जाये। वाद तसदीक कार्यालय प्रकरण खारिज है।	

जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट खेमचन्द बिहार